लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA-BSH/07/L6/65 दिनांक: 25.05.2017

प्रेषक,

बालामुरूगन डी., भा0प्र0 से0,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक,
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं उपयोग के प्रचार – प्रसार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में आप सभी अवगत हैं कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य को 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त किया जाना है। साथ ही "शौचालय निर्माण - घर का सम्मान " को सरकार के सात निश्चयों में भी शामिल किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह आवश्यक है कि ग्रामीण लाभार्थियों के बीच में शौचालय निर्माण एवं उपयोग से संबंधित जानकारी को प्रसारित किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण एवं उपयोग हेतु आवश्यक व्यवहार परिर्वतन के लिए स्थानीय केबल नेटवर्क एवं सिनेमा घरों में शौचालय निर्माण से संबंधित दिनांक 13.05.2017 को दिये गये CD को दिखाया जा सकता है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रचार –प्रसार हेतु इस पत्र के साथ दो होर्डिंग के डिजाइन भी भेजे जा रहे हैं जिसे जिले के सभी प्रखण्ड कार्यालय, अनुमणडल कार्यालय, निबंधन कार्यालय, कोषागार कार्यालय DRDA कार्यालय, बस स्टेंड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्धारित दर पर लगाया जाय। (होर्डिंग की साईज उपलब्ध स्थान के अनुरूप 10'x8', 8'x6' या 6'x4' हो सकता है)।

जिले के विभिन्न कार्यालयों में लगाये गये होर्डिंग की फोटोग्राफी कराकर सॉफ्ट कॉपी में सूचना राज्य इकाई को भेजी जाय तथा इस मद पर होने वाले व्यय राशि को SBM – IEC के मद से व्यय किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

25/05/17

(बालामुरूगन डी.)